S.S. DEMAND LETTER 2017-18 P

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

मैप सं0–20181127105837530 दिनांक– 11/2/19

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता(भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री विवेक कुमार सिंह
निवासी–बी–11, राहुल विहार, शमसाबाद रोड,
आगरा।

विषयः खसरा संख्या–881,882,883, मौजा बरोली अहीर आगरा के मांग पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत **ले–आउट** मानचित्र पर निम्नानुसार शुल्कों की गणना कर स्वीकृत कर दिया गया हैः–

1.	निरीक्षण शुल्क	रू.	1,30,793.00
2.	बाहय विकास शुल्क	रू.	1,16,96,893.00
3.	शेल्टर शुल्क	रू.	16,53000.00
4.	रेन वाटर शुल्क	रू.	2,00,000.00
5.	लेबर शुल्क	रू.	88,299.00

शर्तें / प्रतिबन्ध

1. निर्माण सामग्री अथवा मलबा को मैटल्ड रोड पर स्टोर नही किया जायेगा। मैटल्ड रोड से अलग निर्माण सामग्री को एकत्र करने हेतु स्थल का चिन्हाकंन करना होगा।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन–2010 के अनुसार आवेदक/ भवन स्वामी निर्माण स्थल, सड़क, गली व कालोनी में स्थित निर्माण सामाग्री को ढक्कर रखवायेगा तथा भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण ऐसे स्थान पर किया जाये कि वह उड़कर हवा में न फैले। आवेदक को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन–2010 में निहित समस्त निर्देशों का अक्षशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
3. भवन निर्माण सामग्री के आवागमन हेतु प्रयोग होने वाले ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक कर लाया व ले जाया जायेगा तथा वाहनों से उतारने के बाद आवश्यक साफ–सफाई की जायेगी।
4. ऐसे कर्मचारी जो स्थल पर निर्माण कार्य कर रहे है अथवा निर्माण सामग्री को चढ़ाने व उतारने का कार्य करते हैं, विकासकर्ता द्वारा उन्हें मास्क उपलब्ध कराये जायेगें ताकि डस्ट उनके स्वास्थय में न जायें तथा ऐसे कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा व आवश्यक जांच व उपचार की उचित व्यवस्था किया जाना होगा। आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।
5. निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूरों के फीकल स्लज को सुरक्षित निस्तारण हेतु स्थल पर शौचालय/मोबाइल शौचालय की व्यवस्था करनी होगी।
6. भू–स्वामित्व सम्बन्धी वाद–विवाद होने की स्थिति में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

7. भवन का प्लिन्थ तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर भवन स्वामी/निर्माणकर्ता स्थल के जी0पी0एस कॉआडीनेटस, तिथि एंव समय के साथ डिजिटल फोटोग्राफ आगरा विकास प्राधिकरण को अपलोड कर प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ इस आश्य का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि मौके पर फोटोग्राफस के अनुसार ही निर्माण किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र भवन निर्माण एंव विकास उपविधि के प्रस्तर–3.1.1 के अर्न्तगत अनुज्ञा से छूट से इतर निर्माण कराया गया है तो आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सील किये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं होगी और उसके लिये वह किसी कार्य की क्षति पूर्ति का दावा नहीं करेगा।
8. सड़क चौड़ीकरण हेतु छोड़ी गयी भूमि को निशुल्क हस्तान्तरित करना होगा, इसका कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
9. आवेदक को समस्त विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आश्य का एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. आवेदक को भवन उपविधि के अनुसार वृक्षारोपण करना होगा तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना करनी होगी।
11. कॉलौनी के समस्त आंतरिक विकास कार्य निर्धारित अवधि में मानकों के अनुसार पूर्ण करने होगें।
12. आन्तरिक विकास हेतु नियमानुसार प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
13. पेयजल, सीवर निस्तारण, ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था करनी होगी। बाहय विकास की सुविधाएं उपलब्ध होने से पूर्व जल/मल निस्तारण कार्य पक्ष द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि ग्राउण्ड वाटर प्रदूषित न हो। कूड़े का निस्तारण स्वयं के संशाधनों से करना होगा।
14. कॉलौनी का विकास कार्य पूर्ण कर अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
15. भविषय में यदि किसी विभाग की देयती बनती है तो पक्ष को देय होगी।
16. कॉलौनी के समस्त विकास कार्य पूर्ण कर निवासियों की वेलफेयर एसोसिएशन बनाकर उनको अनुरक्षण हेतु हस्तगत करने होगें। आंतरिक विकास के अनुरक्षण का दायित्व प्राधिकरण का नहीं होगा।
17. इस आश्य का शपथ पत्र पक्ष को प्रस्तुत करना होगा कि रोड वाइडनिंग हेतु भूमि को निशुल्क प्राधिकरण को हस्तान्तरित करनी होगी तथा इसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रतिकर की मांग की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार धनराशि पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा कराने का कष्ट करें, जिससे आपका मानचित्र निर्गत किया जा सके। निर्धारित समय में वांछित धनराशि एवं औपचारिकताऐं पूर्ण न करने पर बिना किसी अन्य सूचना के मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

11/02/19

अधिशासी अभियन्ता(भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।